दिल्ली में घी, मक्खन और दूध से बनी वस्तुओं की भारी किल्लत

*147. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि दिल्ली में काफी लम्बे समय से घी, मक्खन और दूध से बनी वस्तुओं की भारी किल्लत रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ;

(ग) क्या यह सच है कि ठेकेदारों के फायदे के लिए इन चीजों का कृत्रिम संकट उत्पन्न किया गया है, यदि नहीं तो दिनांक 23 सितम्बर, 1994 के "जनसत्ता" में प्रकाशित खबर पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है जिसमें यह कहा गया है कि सरकार ने निजी ठेकेदारों के फायदे के लिए घी और मक्खन का कृत्रिम संकट पैदा किया है ; और

(घ) साधारण जनता को घी और मक्खन की सामान्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) तथा (ख) माह अगस्त, सितम्बर तथा अक्तूबर 1994 के दौरान देश में विशेषकर दिल्ली में दूध, मक्खन तथा घी की कमी रही । दुग्ध उत्पादन में यह कमी अस्थायी तौर पर बाढ़ के कारण चारे तथा पशुओं के लिए पौष्टिक आहार की कमी हो जाने के परिणामस्वरूप आई थी ।

(ग) यह कहना सही नहीं है कि ठेकेदारों के फायदे के लिए सरकार ने कृत्रिम अभाव की स्थिति उत्पन्न की ।

(घ) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को 2000 मी. टन बटर आयल के आयात की अनुमति दी गई थी । सहकारी डेरी परिसंघों ने जो दिल्ली को मक्खन तथा घी की आपूर्ति करते हैं, दिल्ली में अपनी आपूर्ति बढ़ा दी है । विशेषकर दिल्ली में मक्खन तथा घी की जो कमी थी वह अब काफी हद तक बेहतर हो गई है ।

Use of plot allotted to DCM Group

♦148. SHRIMATI KAMLA SINHA :
DR. BAPU KALDATE

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have allowed the DCM group to develop a plot located in Bara Hindu Rao area overruling the official views and the views of DDA regarding the use of the land;

(b) if so, what are the details of the official as also of DDA's views in respect of the use of the plot allotted to DCM group for development ; and

(c) what are the reasons for not accepting the views expressed in this connection ?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SMT. SHEILA KAUL) : (a) to (c) TheiGovernment had received representations from Delhi Cloth Mills Ltd. (DCM) requesting, inter-alia for directing Delhi Development Authority under Section 4] of Delhi Development Act, 1957 to withdraw and cancel 10 letters of determination of leases, all dated 3-12-1992, and, further, to renew the leases and permit the company to re-develop the leasehold lands.

These representations were considered by Delhijpevelopment Authority, who, vide their resolution dated 2-2-1993, resolved to reject the request of Delhi Cloth Mills Ltd, on the ground, inter-alia, that the land in question was required to be utilised for making up deficiencies in respect of facilities as per the need s of the population comprised in the special area. The Authority's resolution was forwarded to the Government and, after considering all the facts pertinent to the case, the Government decided that there should be no objection to the Delhi Cloth Mills undertaking, in consultation with Delhi Development Authority, the provision of common facilities identified by Delhi Development Authority as per Master Plan norms. Accordingly, directions were issued to Delhi Development Authority under Section 41(3) of Delhi Development Act, 1957 stating, inter-alia, that the lease of 11.7 acres of land leased out by the earstwhile Delhi Improvement Trust lo DCM should be restored to the latter for development of such deficiencies as are identified by Delhi Development Authority, as per

the Master Plan norms, and in consultation with DDA. DCM would be liable to pay all conversion charges as applicable.

बिहार में विकास के लिए शहरों का चयन

*149. **श्री जनार्दन यादव :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के कितने शहरों को विकास के लिए चुना गया है :

(ख) सरकार ने उस दिशा में अब तक क्या कदम उठाये हैं : और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) बिहार सरकार ने छोटे तथा मझोले कस्बों के एकीकृत विकास की केन्द्र प्रवर्तित योजना (आई डी एस एम टी) के तहत आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास के लिए "प्राथमिकता शहरों" के रूप में 40 कस्बों का निर्धारण किया है। आई डी एस एम टी दिशा-निर्देशों के अनुरूप बिहार सरकार से अब तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। शहरी विकास मंत्रालय ने बिहार सरकार को आई डी एस एम टी मानदण्डों के अनुसार ऐसी परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पत्र लिखा है जिनमें परियोजना ब्यौरे, राज्य अंश की उपलब्धता और संस्थागत निधियन एजेंसियों के ब्यौरे दिये गये हों।

पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में स्थानों का आरक्षण

*150. **श्री ईश दत्त यादव :**

चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े वर्गों के छात्रों हेतु शैक्षणिक संस्थानों में स्थान आरक्षित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक आदेश जारी किए जाएंगे ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) कल्याण मंत्री का शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करने सम्बन्धी मुद्दे पर राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ अन्य बातों के अलावा विचार-विमर्श करने के लिए शीघ्र ही बैठक करने का प्रस्ताव है। इस स्तर पर कोई समय-सीमा बताना सम्भव नहीं है।

Benefits of Industrial Sector to farmers

•151. SHRI SURESH KALMADI : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to give all the benefits of the industrial sector to farmers in the country;

(b) if so, what are the salient features thereof; and

(c) by when this agriculluie action plan is likely to come into force ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR) : (a) to (c) The draft Agriculture Policy Resolution prepared by the Government, seeks to create a positive trade and investment climate for agriculture.

An important feature of the Resolution is to develop effective systems and bestow similar, benefits on agriculture as exist in industry care would, however, be taken to ensure that agriculturists are not subjected to the regulatory and tax collection machinery of the Government. The Resolutoin was placed in Parliament on 14-5-1993 for their consideration.

Research in Agricultural Universities

•152. SHRI SURINDER KUMAR SINGLA

DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether any review has been made about the capability of Agricultural Universities in the Country with respect to coping up with the,